राजस्व अपील संख्या 412/2022

अनवान

जोराराम वगैराह बनाम राज्य

दिनांक 01 –08–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम एका भाटिया में पारित आदेश कमांक राज/2021/848 दिनांक 03.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम एका भाटिया के आदेश कमांक राज/2021/848 दिनांक 03.12.2021 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। यदि कदीमी रास्ता चालू है तो उस कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर